कार्यालय—नगर परिषद,भभुआ (कैमूर)

(अतिअल्पकालीन आम बन्दोवस्ती सूचना)

दिनांक—01.01.2020 से 31.12.2022 (कुल 03 वर्षों के लिए) तक नगर परिषद् भभुआ क्षेत्रान्तर्गत चमन लाल पोखरा, वार्ड सं0—17, भभुआ का खुले डाक द्वारा बन्दोवस्ती नगर परिषद कार्यालय में अंकित तिथि को **3.00** बजे अपराहन से की जाएगी । इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय को उक्त स्थान पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं।

क्र0 सं0	सैरातों का नाम	न्युनतम डाक की राशि	जमानत स्वरूप अग्रधन की राशि (20% प्रतिशत)	डाक की तिथि	डाक नहीं होने की स्थिति में अगली तिथि	डाक नहीं होने की स्थिति में अगली तिथि	बन्दोबस्ती की अवधि 01.01.2020 से 31.12.2022	समय
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	चमन लाल तालाब (केवल मछली पालन हेतु)	311600.00	62320.00	13.03.2020	14.03.2020	16.03.2020	03 (तीन) वर्ष	3.00 PM

डाक की शर्ते निम्नवत हैः—

1. डाक में वही व्यक्ति भाग लेंगे जिनके पास नगर परिषद् भभुआ का किसी प्रकार का बकाया नहीं होगा। इस आशय का कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. डाक वक्ता को स्थाई निवास प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड तथा 02 पासपोर्ट साईज का फोटो जमा करना होगा।
3. डाक बोलने से पूर्व 20% (बीस) प्रतिशत की राशि (कॉलम सं०—04 पर अंकित राशि) को जमा करने के पश्चात् ही डाक बोली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह नगद/ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से कार्यालय में भुगतेय होगा। उच्चतम डाक में सफल डाकवक्ता एवं द्वितीय डाकवक्ता की सुरक्षित जमा धन राशि का समायोजन/वापसी एकरारनामा के पश्चात की जायेगी।
4. डाक बन्दोवस्ती अंतिम चक्र समाप्त होने के पश्चात उच्चतम डाकधारी के साथ की जायेगी, तथा डाक समाप्त होने पर सफल डाकवक्ता को पूरी राशि 24 घंटे के अन्दर एक मुश्त जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर डाक को रद्द कर दिया जाएगा और जमानत की पूरी राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. बन्दोबस्ती राशि का 03 (तीन) प्रतिशत राशि स्टाम्प शुल्क के रूप में डाकधारी द्वारा अलग से देय होगा।
6. डाक की शर्तों में किसी प्रकार का परिर्वतन अथवा बन्दोवस्ती रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. तालाब के स्वरूप का परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
8. तालाब में पूर्व की भाँती धार्मिक अनुष्ठानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।
9. विस्तृत जानकारी के लिये नगर परिषद् कार्यालय,भभुआ से सम्पर्क किया जा सकता है।

24/2/20

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद भभुआ